समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि -682 036

परिपत्र

फाइल सं: QC-QP0EU/1/2016-QC

दिनांक: 14.07.2023

विषय: भारत से मत्स्य उत्पादों में धोखाधड़ी का संदेह

महोदया/महोदय,

यह आपके ध्यान में लाना है कि यूरोपीय संघ ने भारत से आयातित प्रशीतित श्रिम्प में अघोषित पानी के संयोजन के दो मामले दर्ज किए गए हैं।

मामले का सारांश इस प्रकार है:-

i. भारत से आयातित प्रशीतित श्रिम्प में अघोषित पानी के संयोजन के दो मामले

ii. इस उत्पाद में आम तौर पर पानी की मात्रा 77.6 ग्राम/100 ग्राम और प्रोटीन की मात्रा 19.6 ग्राम/100 ग्राम होती है और इस प्रकार पानी/प्रोटीन का अनुपात 4.0 होता है। तथापि , विश्लेषण में पानी की मात्रा 80.9 ग्राम/100 ग्राम, प्रोटीन की मात्रा 18.39 ग्राम/100 ग्राम और जल-प्रोटीन अनुपात 4.4 पाया गया। लेबल में श्रिम्प की मात्रा 85% बताई गई थी जबकि केवल 81% ही निर्धारित की गई थी।

iii. कुक्ड पील्ड कॉकटेल श्रिम्प की दूसरी खेप में पानी की मात्रा 87.4 ग्राम/100 ग्राम, प्रोटीन की मात्रा 11.54 ग्राम/100 ग्राम और पानी/प्रोटीन अनुपात 7.6 दिखाया गया। लेबल में श्रिम्प की मात्रा 80% बताई गई थी जबकि 71.3% मापा गया था।

iv. दोनों ही मामलों में, संयोजित पानी को न तो उत्पाद के नाम के लेबल पर और न ही सामग्री की सूची में दर्शाया गया था , जिससे विनियमन (ईयू) संख्या 1169/20112 का उल्लंघन हुआ, उस विनियमन के अनुच्छेद 7(1) (ए) में प्रावधान है कि खाद्य की जानकारी भ्रामक नहीं होनी चाहिए, जिसमें खाद्य की विशेषताएं, उसकी संरचना और मात्रा भी शामिल है (ईयू विनियम 1169/2011 संदर्भ के लिए संलग्न है)।

v. ये उल्लंघन आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं और इसलिए धोखाधड़ी का संदेह है। यूरोपीय संघ ने भारत के भारत के सक्षम अधिकारियों से मशीनरी के आकार और उत्पाद लेबलिंग की आकस्मिक जांच सहित सत्यापन करने को कहा है।।

यूरोपीय संघ ने भारतीय अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया है कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो और भारत समुद्री बाजार में अपनी प्रतिष्ठा न खोए।

इस संबंध में, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करें कि ऐसे मुद्दे दोबारा न हों, और व्यापार के हित में संबंधित यूरोपीय संघ विनियमन का अनुपालन करने के लिए व्यापारियों को सचेत करें।

(डॉ. राम मोहन एम. के.)
संयुक्त निदेशक (क्यूसी)

परिचलन के लिए:

(1) एमपीईडीए के सभी आरडी और एसआरडी

(2) संयुक्त निदेशक (एम), एमपीईडीए

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY KOCHI -682 036

File No: QC-QP0EU/1/2016-QC Date: 14.07.2023

Circular

Sub: Suspicion of fraud in fishery products from India

Madam/ Sir,

This is to bring to your notice that EU has reported two cases of undeclared addition of water in frozen shrimps imported from India.

The summary of matter is as follows: -

i. Two cases of undeclared addition of water in frozen shrimps imported from India.
ii. This product normally presents water content of 77.6 g/100 g, protein content of 19.6 g/100 g and thus a water/protein ratio of 4.0. However, analysis detected water content of 80.9 g/100 g, protein content of 18.39 g/100 g and water-protein ratio of 4.4. The label indicated shrimp content of 85% while only 81% was determined.
iii. The second lot of cooked peeled cocktail shrimps showed water content of 87.4 g/100 g, protein content of 11.54 g/100 g and water/protein ratio of 7.6. The label indicated shrimp content of 80% while 71.3% was measured.
iv. In both cases, the added water was neither indicated on the label within the name of the product nor in the list of ingredients, leading to an infringement to Regulation (EU) No 1169/20112. Article 7(1)(a) of that Regulation provides that food information must not be misleading, amongst others, as to the characteristics of the food including, as to its composition and quantity (EU Regulation 1169/2011 is attached for reference).
v. These breaches confer an economic advantage and are therefore suspected of fraud. The EC has asked the competent authorities of India to conduct unannounced investigations with verification of machinery sizing and product labelling.

EU has requested Indian Authorities to undertake appropriate measures to ensure that such situations do not arise again, and that India does not lose its reputation in the market. In this regard, all the field offices are requested to undertake appropriate measures to ensure such issues do not recur, and alert the trade to comply with the concerned EU regulation in the interest of trade.

(DR. RAM MOHAN M. K.)
JOINT DIRECTOR (QC)

For circulation:
(1) All RDs & SRDs of MPEDA
(2) Joint Director (M), MPEDA